

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1408 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 4 / 2022

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्री अजीत कुमार धुर्वे, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 19/01/2022 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1409 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 4 / 2022

IV-12-14/80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अजीत कुमार धुर्वे, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)